सराहनीय कार्य
जनपद बस्ती

दिनांक-09.06.2024

थाना छावनी पुलिस, एस0ओ0जी0 टीम बस्ती व स्वाट टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में थाना क्षेत्रान्तर्गत पोल्ट्री वैन से लूट करने वाले अंतर्जनपदीय 07 लुटेरों को किया गया गिरफ्तार-

थाना छावनी पुलिस, एस0ओ0जी0 टीम बस्ती व स्वाट टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में थाना क्षेत्रान्तर्गत मुर्गा लदे पिकप की लूट के सम्बन्ध में थाना छावनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-145 धारा 392 IPC व मु0अ0सं0-146 धारा 394 IPC से संबंधित **07 अभियुक्तों यथा क्रमशः 01-**बबलू अहमद **02-**विजेन्द्र तिवारी **03-**रिजवान उर्फ राजू **04-**हैदर अली **05-**मोहम्मद अफसर **06-**संतोष कुमार **07-**इस्लाम अहमद को **A-**दो अदद पिकप, **B-**घटना में प्रयुक्त एक अदद स्कॉर्पियो व एक अदद बोलेरो **C-**एक अदद तमंचा मय 02 अदद ज़िंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया|

गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर थाना छावनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-145 धारा 392 IPC को धारा 395, 412, 201 IPC में व मु0अ0सं0-146 धारा 394 IPC को धारा 395, 397, 398, 412 IPC में परिवर्तन कर अन्य आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय बस्ती रवाना किया गया |

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01-बबलू अहमद पुत्र मोहम्मद अनीष निवासी ग्राम पाण्डेय पुरवा पथरी बाजार थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा (उ0प्र0) |
02-विजेन्द्र तिवारी पुत्र शिकांत निवासी ग्राम शुक्लन पुरवा माझा तरहर थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा (उ0प्र0) |
03-रिजवान उर्फ राजू पुत्र गजल मोहम्मद निवासी ग्राम पाण्डेय पुरवा रामनगर तरहर थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा (उ0प्र0) |
04-हैदर अली पुत्र अकबर अली निवासी चौक बाजार बड़ा इमामबाड़ा थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा (उ0प्र0) |
05-मोहम्मद अफसर पुत्र मोहम्मद अनीस निवासी पाण्डेय पुरवा रामनगर तरहर थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा (उ0प्र0) |
06-संतोष कुमार पुत्र कन्हई लाल निवासी ग्राम हिलालपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा (उ0प्र0)|
07-इस्लाम अहमद पुत्र रसीद अहमद निवासी इमामबाडा काशी राम कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा (उ0प्र0)|

बरामदगी का विवरण-

01-एक अदद पिकअप गाड़ी संख्या-UP-32PN-2501 | **02-**एक अदद स्कार्पियो काला बिना नम्बर प्लेट के | **03-**एक अदद बोलेरो गाड़ी संख्या UP-43HD-7518 | **04-**एक अदद पिकअप गाड़ी संख्या UP-43-T-6399 | **05-**एक अदद तमंचा 12 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर | **06-**नगद रुपये-40,000/- (चालीस हज़ार) |

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-08.06.2024 को दुर्गा प्रसाद शुक्ला पुत्र ओम प्रकाश शुक्ला निवासी ग्राम धरौली पुरे अयोध्या, दूबे पुरवा थाना खण्डासा जनपद अयोध्या (उ0प्र0) द्वारा थाना छावनी पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक-03 जून 2024 को समय करीब 23:00 बजे मैं अपने खलासी रिजवान पुत्र अनीस निवासी ग्राम सौना थाना कमरौली जनपद अमेठी (उ0प्र0) के साथ बोलेरो पिकप गाड़ी संख्या-UP-32-RN-0704 जिसमें 1324 मुर्गे (कुल वजन-1902.65 K.G.) लदे हुए थे, को लेकर जगदीशपुर जनपद अमेठी दिनानाथ साहनी के यहाँ जनपद देवरिया ले जा रहा था कि दिनांक-04.06.2024 को समय करीब 01:00 बजे फैजाबाद के रास्ते जब छावनी से पहले पड़ने वाले एच0पी0 पेट्रोल पम्प व विरेन्द्र कुमार दूबे इण्टर नेशनल के बीच में पहुंचा तो 03 अज्ञात बदमाशों द्वारा बिना नम्बर प्लेट की काली स्कार्पियो से मेरी पिकप को ओवर टेक कर 02 लोग निकले जो हम दोनों को जबरदस्ती खींचकर स्कार्पियो में बैठा कर मोबाईल छीन लेने के उपरांत मेरे पिकप को अपने कब्जे में लेकर फरार हो गये। हम लोगों के पास रखे पैसे व मुर्गे को लूट कर स्कार्पियो में बैठाकर समय करीब 03:30 बजे तक चक्कर लगाते हुए सुर्या पैलेस अयोध्या के सामने छोड़ कर चले गए, जहाँ मेरी खाली पिकप (मुर्गे गायब) पड़ी थी जिसके सम्बन्ध में मैं व मेरे कन्डक्टर ने समय करीब 03:46 बजे मुर्गा फार्म मालिक जब्बाद खानपुर पुत्र मो0 सगीर निवासी ग्राम सिन्दुरवा थाना कमरौली जनपद अमेठी को इलेक्ट्रीक रिक्शा वाले के मोबाईल से काल करके साड़ी घटना के बारे में बता दिया था | हम लोगों ने थाना कोतवाली अयोध्या में शिकायत दर्ज कराने गए तो घटनास्थल थाना छावनी जनपद बस्ती का बताकर थाना छावनी पर शिकायत दर्ज कराने हेतु बताया गया | हम लोगों ने मुर्गों

की जगह-जगह खोजबीन किये किन्तु कहीं कुछ पता नहीं चला, जिसके सम्बन्ध में थाना छावनी जनपद बस्ती पर मु0अ0सं0-145 धारा 392 IPC पंजीकृत कर जांच व अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है |

दिनांक-08.06.2024 को शेखुबान पुत्र शमसाद बान निवासी ग्राम जलालपूर तिवारी पोस्ट जगदीशपुर थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी (उ0प्र0) द्वारा थाना छावनी पर लिखित सूचना दिया गया कि मैं पोल्ट्री ट्रेडिंग का काम करता हूँ | दिनांक-07.06.2024 को अपने बोलेरो पिकप गाड़ी संख्या UP-32-PN-2501 में 19 क्विंटल ज़िंदा मुर्गा लाद कर जगदीशपुर से नौतनवा जनपद महराजगंज (उ0प्र0) सप्लाई करने जा रहा था कि दिनांक-08.06.2024 को समय करीब 01:50 बजे NH-28 पर थाना छावनी अंतर्गत राम जानकी तिराहे से कुछ दूर पहले 3-4 अज्ञात लोग सफ़ेद रंग की बोलेरो से असलहा लहराते हुए मेरी पिकप के सामने आकर रोक लिए एवं पिकप चालाक- मोहम्मद असलम पुत्र मोहम्मद सलीम निवासी ग्राम बाजगढ़ थाना जामो जनपद अमेठी व कंडक्टर-मोहम्मद तौकीर पुत्र इस्तियाक अहमद को मारते-पीटते हुए पिकअप से बाहर खींचकर बोलेरो में बैठा लिए एवं बोलेरो में सवार कुछ लोगों ने पिकअप को छीनकर जनपद अयोध्या की तरफ भागने लगे, जहां कुछ दूर जाकर मेरे पिकप चालाक व कंडक्टर को बोलेरो से उतार दिए जोकि किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए सुचना दिए, जिस पर थाना छावनी पर मु0अ0सं0-146 धारा 394 IPC पंजीकृत कर जांच व अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है |

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर बताया गया कि दिनांक-04.06.2024 को समय करीब 01:30 बजे विक्रमजोत व छावनी के बीच स्थित एच0पी0 पेट्रोल पम्प से पहले मुर्गा लदे हुए एक पिकप को लूट कर उसके चालाक व खलासी के मोबाइल को छीन कर कुचल के सरयू नदी में फेंक देने के बाद पिकप गाड़ी को सूर्या पैलेस अयोध्या के सामने सड़क किनारे छोड़कर चले गए थे | हम सभी साथी लूटे हुए मुर्गों को खाने वाले अलग-अलग जगह पर बेच कर प्राप्त पैसों को आने-जाने, तेल पानी व खाने-पीने आदि में खर्च कर दिए हैं जिसमें से हम लोगों के पास कुल रुपये 40,000/- बचे थे जोकि आप लोगों द्वारा ले लिया गया है |

दिनांक-07.06.2024 को समय करीब 02:00 बजे भी हम लोगों ने मुर्गा लदे हुए एक पिकप को लूटा था जिसे अलग-अलग बेचने के लिए गए थे किन्तु सही दाम न मिल पाने के कारण वापस आकर हम सभी मुर्गो को बेचने के लिए जनपद सिद्धार्थनगर जा रहे थे कि आप लोगों ने हमें पकड़ लिया | हम सभी साथ मिल-जुल कर मुर्गो की लूट आदि जैसी घटना करके अपना व अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं | हम सभी साथी अपने साथ 2-3 गाड़ी आगे-पीछे लेकर चलते हैं, जहां हमारे प्रत्येक गाड़ी में 1-2 साथी रहते है | हम सभी साथी जिस गाड़ी को लूटना चाहते हैं, उस गाड़ी को अपने साथ लेकर चल रहे गाड़ियों से घेर कर गाड़ी चालक व खलासी/ कंडक्टर को अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं एवं गाड़ियों में बैठे अन्य साथी लूटे हुए पिकप/ गाड़ी को कुछ दूर ले जाकर गाड़ी चालक व खलासी/ कंडक्टर को उतार कर भाग जाते हैं |

अभियुक्त विजेंद्र तिवारी का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-100/2020 धारा 147, 148, 149, 323, 384, 504 IPC थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा |
2- मु0अ0सं0-301/2023 धारा 323, 325, 452, 504, 506 IPC थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा |

अभियुक्त इस्लाम उर्फ सोनू का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0- 759/2023 – धारा-379, 411 IPC थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा |

अभियुक्त हैदर अली का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-60/2024 धारा-380, 411 IPC थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा |
2- मु0अ0सं0-61/2024 धारा- 401 IPC थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा |
3- मु0अ0सं0-509/2022 धारा- 147, 323, 427, 504, 506 IPC थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा |
4- मु0अ0सं0-24/2024 धारा- 380, 411, 457 IPC थाना धानेपुर जनपद गोण्डा |

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01- प्रभारी निरीक्षक छावनी राजेश कुमार तिवारी जनपद बस्ती |
02- प्रभारी एस0ओ0जी0 उ0नि0 जनार्दन प्रसाद जनपद बस्ती |
03- प्रभारी स्वाट टीम उ0नि0 उमाशंकर त्रिपाठी जनपद बस्ती |
04- प्रभारी सर्विलांस सेल शशिकांत जनपद बस्ती |
05- प्रभारी चौकी विक्रमजोत उ0नि0 रितेश कुमार सिंह थाना छावनी जनपद बस्ती |
06- उ0नि0 श्री हरि राय थाना छावनी जनपद बस्ती |
07- मुख्य आरक्षी राघवेंद्र दूबे, आरक्षी ऋतिक कुमार, आरक्षी मुकेश यादव, आरक्षी अरविन्द पटेल, आरक्षी शिवकेश सिंह, आरक्षी लवकुश सिंह थाना छावनी जनपद बस्ती |

08- हे0का0 ओमवीर यादव व आरक्षी वीरेन्द्र सिंह यादव चौकी विक्रमजोत थाना छावनी जनपद बस्ती |

09- हे0का0 रमेश कुमार, हे0का0 अवनीश सिंह, हे0का0 पवन तिवारी, आरक्षी शुभेन्द्र तिवारी, आरक्षी किशन सिंह, आरक्षी अभिलाष प्रताप सिंह स्वाट टीम बस्ती |

10- हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार, आरक्षी चन्दन भारती, आरक्षी शिवम यादव ए स0ओ0जी0 टीम बस्ती |

11- हे0का0 देवेश यादव, हे0का0 सत्येंद्र सिंह, आरक्षी संतोष यादव सर्विलांस टीम बस्ती |